"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 17, शक 1931

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितंबर 2009

आदेश

क्रमांक एफ-45-1/तीन (एक)-11/पंचा./रानिआ/2009/1299.—आयोग के पत्र क्र. एफ-21/रानिआ/नि.स./पं.नि./प्रतीक/2004/553 दिनांक 14 मई 2004 द्वारा जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रतीकों की सूची भाग-एक के क्रमांक-1 पर निर्धारित "तीर कमान" प्रतीक को नगरीय निकायों के निर्वाचन में "शिवसेना" पार्टी एक विशिष्ट राजनीतिक दल के लिए आरक्षित कर दिये जाने के फलस्वरूप आयोग के पत्र क्रमांक एफ-21/रानिआ/नि.स./पं.नि/प्रतीक/2004/2940 दिनांक 22-12-2004 द्वारा जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्धारित प्रतीक "तीर कमान" को एतद्द्वारा विलोपित किया गया है.

पंचायत निर्वाचन प्रतीकों का निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42, सहपठित छ. ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा पंचायतों के निर्वाचन के लिए निम्नांकित निर्वाचन प्रतीक निर्धारित करता है, अर्थात् :—

1.	जिला पंचायत के सदस्य के लिए	-	संलग्न सूची के भाग एक में उल्लिखित
2.	जनपद पंचायत सदस्य के लिए	-	संलग्न सूची के भाग दो में उल्लिखित
3.	ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए	-	संलग्न सूची के भाग तीन में उल्लिखित
4.	ग्राम पंचायत के पंच के लिए	-	संलग्न सूची के भाग चार में उल्लिखित
5.	किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की बहुलता की स्थिति में, आबंटित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रतीक.	-	संलग्न सूची के भाग पांच में उल्लिखित

निर्वाचन प्रतीकों की सूची

भाग-एक
जिला पंचायत के सदस्य के लिए

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	दो पत्तियां	20.	मोमबत्तियां
2.	ऊगता सूरज	21.	कढ़ाई
3.	पतंग	22.	सीटी
4.	छाता	23.	सिर पर टोकरी सहित औरत
5.	गाड़ी	24.	लड़का-लड़की
6.	फावड़ा और बेलचा	25.	नाव
7.	बिजली का बल्ब	26.	बेंच
8.	सिलाई मशीन	27.	गैस सिलेण्डर
9.	हाथ चक्की	28.	गैस स्टोव
10.	टेबल पंखा	29.	सिगड़ी
11.	स्लेट	30.	संडसी
12.	रेडियो	31.	गैस बत्ती
13.	हारमोनियम	32.	गुब्बारा
14.	दो तलवार और एक ढाल	33.	मेज
15.	पिचकारी	34.	कुर्सी
16.	मटका	35.	मोरपंख
17.	अंगूठी	36.	पीपल का पत्ता
18.	बल्ला	37.	सूरजमुखी
19.	चॉबी		

भाग-दो
जनपद पंचायत के सदस्य के लिए

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	ब्लैक बोर्ड	13.	डीजल पम्प
2.	बरगद का पेड़	14.	प्रेशर कुकर
3.	झोपड़ी	15.	कप प्लेट
4.	ट्रेक्टर चलाता हुआ किसान	16.	लेटर बाक्स
5.	तराजू	17.	आरी
6.	फसल काटता हुआ किसान	18.	कंघी
7.	मशाल	19.	ढोलक
8.	अलमारी	20.	ड्रम
9.	छत का पंखा	21.	भोपू
10.	टेलीविजन	22:	चारपाई
11.	रेल का इंजन	23.	दरवाजा
12.	टेलीफोन		

भाग-तीन

ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	चश्मा	13.	स्टूल
2.	कांच का गिलास	14.	कलम दवात
3.	फलों सहित नारियल का पेड़	15.	कुंआ
4.	हस्तचलित पम्प	16.	गेहूं की बाली
5.	ताला और चॉबी	17.	बस
6.	अनाज बरसाता हुआ किसान	18.	पुल
7.	सब्जियों की टोकरी	19.	नल
8.	घंटी	20.	लट्टू
9.	टेबल लैम्प	21.	जग
10.	खंभे पर ट्यूबलाईट	22.	हॉकी और गेंद
11.	हार	23.	टोप
12.	किताब	24.	वायलिन

भाग-चार

ग्राम पंचायत के पंच के लिए

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	सीढ़ी	6.	बिजली का स्विच
2.	फावड़ा	7.	मक्के का भुट्टा
3.	बाल्टी	8.	कैंची
4.	हल	9.	केतली
5.	कुल्हाड़ी	10.	बेलन

भाग-पांच

किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	बनियान	8.	वायुयान
2.	कमीज	9.	रोड रोलर
3.	फ्राक	10.	सेब
4.	गुलाब का फूल	11.	मूली
5.	पोत	12.	आम
6.	स्कूटर	13.	केला
7.	जीप	14.	लेडी पर्स

आयुक्त महोदय के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.